संख्या: 08/2020/ 938 /12-2-2020-बजट.3/2010

प्रेषक,

राधेश्याम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 अप्रैल, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यन्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अभि0/01/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष रू0 100.00 करोड (रूपए एक अरब मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपये 100.00 करोड की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी [illegible] के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी की

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meena
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

संख्या: 0/2020/ 938 (1) /12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या:13/2020/983 /12-2-2020-बजट.3/2010

प्रेषक,

राधेश्याम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 29 मई, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के-लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/38/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 20 मई, 2020 तथा शासनादेश सख्या: 8/2020/938/12-2-2020-बजट.3/2010 दिनांक 27 अप्रैल, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 110000.00 लाख में से माह मई, 2020 हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 100.00 करोड (रूपए एक अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपये 100.00 करोड की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

संख्या:13/2020/983 (1) /12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: १९ /2020/ १३०० /12-2-2020-बजट.3/2010

प्रेषक,

राधेश्याम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: ३-७ जुलाई, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यन्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/187/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 24 जून, 2020 तथा शासनादेश सख्या: 13/2020/983/12-2-2020-बजट.3/2010 दिनांक 29 मई, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 100000.00 लाख में से माह जून, 2020 हेतु तृतीय किश्त की धनराशि रू0 100.00 करोड (रूपए एक अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपये 100.00 करोड की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

संख्या: /2020/ (1) /12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या: 31 /2020/1720 /12-2-2020-बजट.3/2010

प्रेषक,

विद्या शंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 04 सितम्बर, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यन्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/420/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 28 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश सख्या: 19/2020/1200/12-2-2020-बजट.3/2010 दिनांक 28 जुलाई, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 900000.00 लाख में से माह जुलाई, 2020 हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि रू0 100.00 करोड (रूपए एक अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपये 100.00 करोड की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(विद्या शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 31 /2020/1720 (1) /12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या:47/2020/1901 /12-2-2020-बजट.3/2010

प्रेषक,

विद्या शंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 21 अक्टूबर, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यन्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/577/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 21 सितम्बर, 2020 तथा शासनादेश सख्या: 31/2020/1720 /12-2-2020-बजट.3/2010 दिनांक 04 सितम्बर, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 800000.00 लाख में से माह अगस्त, 2020 एवं सितम्बर, 2020 हेतु पांचवे एवं छठे किश्त की धनराशि रू0 200.00 करोड (रूपए दो अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपये 200.00 करोड की धनराशि का माहवार व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(विद्या शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 47/2020/1901(1) /12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

(विद्या शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या: 02/2021/2231 /12-2-2021-बजट.3/2010

प्रेषक,

राधेश्याम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 02 जनवरी, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यन्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/1278/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/ 2020-21 दिनांक 19 नवम्बर, 2020 तथा शासनादेश सख्या: 47/2020/1901/12-2-2020-बजट.3/2010 दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 (सपठित शुद्धि पत्र संख्या: 2008/12-2-2020-बजट.3/2010 दिनांक 28 अक्टूबर, 2020) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 60000.00 लाख में से माह अक्टूबर, 2020 एवं नवम्बर, 2020 हेतु सातवें एवं आठवें किश्त की धनराशि रू0 200.00 करोड़ (रूपए दो अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपये 200.00 करोड़ की धनराशि का माहवार व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयीं है।

भवदीय,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

संख्या:02/2021/2231(1) /12-2-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 06/2021/398 /12-2-2021-बजट.3/2010

प्रेषक,

राधेश्याम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 29 जनवरी, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यन्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/2028/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 22 जनवरी, 2021 तथा शासनादेश सख्या 02/2021/2231/12-2-2021-बजट.3/2010_दिनांक 02 जनवरी 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 40000.00 लाख में से माह दिसम्बर, 2020 एवं जनवरी, 2021 हेतु नवीं एवं दसवीं किश्त की धनराशि रू0 200.00 करोड़ (रूपए दो अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपये 200.00 करोड़ की धनराशि का माहवार व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03-06-2022 16:28

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

संख्या: 06/2021/398 (1) /12-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या:11 /2021/563/12-2-2021-बजट.3/2010

प्रेषक,

राधेश्याम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 23 फरवरी, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/2232/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 10 फरवरी, 2021 तथा शासनादेश सख्या 06/2021/398/12-2-2021-बजट.3/2010_दिनांक 29 जनवरी 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 20000.00 लाख में से माह फरवरी, 2021 हेतु धनराशि रू0 100.00 करोड़ (रूपए एक अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपये 100.00 करोड़ की धनराशि का संगत शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप सदुपयोग करते हुए माहवार व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा एवं अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

संख्या:11/2021/563(1) /12-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-40/2020/638/24-1-20-54पी/02टीसी-1

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 07 अप्रैल,2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-421/अधि0नि0 (वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 01 अप्रैल, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 4800,00,00,000/- (रूपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह अप्रैल 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 78 /दस-2020, दिनांक 04 अप्रैल 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

संख्या-40/2020/638(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-52/2020/669/24-1-20-54पी/02टीसी-1

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 04 मई,2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-493/अधि0नि0 (वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 27 अप्रैल, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 4800,00,00,000/- (रूपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 4400,00,00,000/- (रूपये चार हजार चार सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह मई 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक, वि0, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-94/दस-2020.दिनांक 04 मई 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

संख्या-52/2020/669(1)/24-1-2020. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-56/2020/718/24-1-20-54पी/02टीसी-1

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 01 जून, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-586/अधि0नि0 (वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 26 मई, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 4800,00,00,000/- (रूपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 4000,00,00,000/- (रूपये चार हजार करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह जून, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 106 /दस - 2020. दिनांक 01 जून, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

संख्या- 56 /2020/718(1)/24-1-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-64/2020/863/24-1-20-54पी/02टीसी-1

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 03 जुलाई, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-766/अधि0नि0 (वित्त)/ वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 26 जून, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 4800,00,00,000/- (रूपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 3600,00,00,000/- (रूपये तीन हजार छः सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह जुलाई, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वि0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-विजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 136 /दस - 2020, दिनांक 02 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 64 /2020/863(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-74/2020/1007/24-1-20-54पी/02टी०नो०

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-954/अधि0नि0 (वित्त)/ वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 27 जुलाई, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 4800,00,00,000/- (रूपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 3200,00,00,000/- (रूपये तीन हजार दो सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह अगस्त, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्व पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, वाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 160 /दस - 2020, दिनांक 30 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 74 /2020/1007(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-80/2020/1165/24-1-20-54पी/02टीसी-

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1107/अधि0नि0 (वित्त)/ वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 26 अगस्त, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 4800,00,00,000/- (रूपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 2000,00,00,000/- (रूपये दो हजार करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रूपये 2800,00,00,000/- (रूपये दो हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह सितम्बर, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, वाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 184 /दस - 2020, दिनांक 02 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-80/2020/1165(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या- 87 /2020/1289/24-1-20-54पी/02टीसी-

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 30 सितम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1269/अधि0नि0 (वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 4800,00,00,000/- (रूपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 2400,00,00,000/- (रूपये दो हजार चार सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रूपये 2400,00,00,000/- (रूपये दो हजार चार सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 203 /दस - 2020, दिनांक 29 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 87 /2020/1289(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-98/2020/1448/24-1-20-54पी/02टीसी

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 02 नवम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1441/अधि0नि0 (वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 4800,00,00,000/- (रूपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 2800,00,00,000/- (रूपये दो हजार आठ सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रूपये 2000,00,00,000/- (रूपये दो हजार करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह नवम्बर, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 230 /दस - 2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-98/2020/1448(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-104/2020/1665/24-1-20-54पी/02टीसी-

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27 नवम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक
के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या 1665/अधि0नि0 (वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 24 नवम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 4800,00,00,000/- (रूपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 3200,00,00,000/- (रूपये तीन हजार दो सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रूपये 1600,00,00,000/- (रूपये एक हजार छः सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह दिसम्बर, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 197 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-248/दस-2020, दिनांक 27, नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-104/2020/1665(1)/24-1-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-119/2020/1863/24-1-20-54पी/02टीसी-1

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 31 दिसम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1814/अधि0नि0 (वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2020-21/394 टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 4800,00,00,000/- (रूपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 3600,00,00,000/- (रूपये तीन हजार छः सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रूपये 1200,00,00,000/- (रूपये एक हजार दो सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह जनवरी, 2021 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801–बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 277 /दस - 2020, दिनांक 25 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 119 /2020/1863(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-11/2021/264/24-1-21-54पी/02टीसी-1

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 08 फरवरी, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-180/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2020-21/394 टी0सी0, दिनांक 01 फरवरी, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 4800,00,00,000/- (रूपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 800,00,00,000/- (रूपये आठ सौ करोड़ मात्र) में से शासनादेश संख्या-05/2021/61/24-1-21-54पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 12 जनवरी, 2021 द्वारा धनराशि रूपये 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह जनवरी, 2021 में आहरित कर एन0टी0पी0सी0 को भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उपरोक्त प्रस्तर-1 में शासनादेश दिनांक 12 जनवरी, 2021 द्वारा एन0टी0पी0सी0 को भुगतान किये जाने वाली स्वीकृत धनराशि रूपये 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) के शासनादेश को निरस्त करते हुए माह फरवरी, 2021 के प्रथम सप्ताह में धनराशि रूपये 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 जनवरी, 2021 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि के सापेक्ष धनराशि का आहरण नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 32 /दस - 2021, दिनांक 05 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-11/2021/264(1)/24-1-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Signature Not Verified
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या- 21 /2021/468/24-1-21-54पी/02टीसी-1

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 02 मार्च, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-316/अधि0नि0 (वित्त)/ वि0प्र0-2/ आय-व्ययक/ 2020-21/394 टी0सी0, दिनांक 22 फरवरी, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 4800,00,00,000/- (रूपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 4400,00,00,000/- (रूपये चार हजार चार सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रूपये 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह मार्च, 2021 के प्रथम सप्ताह में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

Digitally Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 53 /दस - 2021, दिनांक 02 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-21/2021/468(1)/24-1-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-51/2021/757/24-1-21-54 (बजट) /2021

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 30 अप्रैल,2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-607/ अधि0नि0 (वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 03 अप्रैल, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 5400,00,00,000/- (रूपये पॉच हजार चार सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 1000,00,00,000/- (रूपये एक हजार करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अप्रैल, 2021 में धनराशि रूपये 500,00,00,000/- (रूपये पॉच सौ करोड़ मात्र) एवं माह मई, 2021 के प्रथम सप्ताह में धनराशि रूपये 500,00,00,000/- (रूपये पॉच सौ करोड़ मात्र) में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी।

http://ikshasanadesh.up.nic.in

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
MEENA
03.06.2022 16:28

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-106-दस-2021 2022, दिनांक 29 अप्रैल 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-51/2021/757(1)/24-1-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://khasanadesh.up.nic.in

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-59 /2021/822/24-1-21-54 (बजट) /2021

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 25 मई,2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-738/ अधि0नि0 (वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 06 मई, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 5400,00,00,000/- (रूपये पाँच हजार चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 4400,00,00,000/- (रूपये चार हजार चार सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 500,00,00,000/- (रूपये पाँच सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह जून, 2021 के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 142 -दस-2021 2022, दिनांक 22 मई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-59/2021/822(1)/24-1-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-72/2021/914/24-1-21-54 (बजट) /2021

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 29 जून, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-865/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 14 जून, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 5400,00,00,000/- (रूपये पॉच हजार चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 3900,00,00,000/- (रूपये तीन हजार नौ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 500,00,00,000/- (रूपये पॉच सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह जुलाई, 2021 के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

http://ishsarkaridesk.up.nic.in

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिड़ी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 261 -दस-2021 2022, दिनांक 25 जून, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

<u>संख्या-72/2021/914(1)/24-1-2021, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।

3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://rajpatra.upsdc.gov.in

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या- 79 /2021/986/24-1-21-54 (बजट) /2021

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 05 जुलाई, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-926/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 28 जून, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 5400,00,00,000/- (रूपये पॉच हजार चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 3400,00,00,000/- (रूपये तीन हजार चार सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 500,00,00,000/- (रूपये पॉच सौ करोड़ मात्र) को माह जुलाई, 2021 में स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि आहरित कर भुगतान हेतु केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों को प्रथमिकता प्रदान की जाय।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 304 -दस-2021 2022, दिनांक 02 जुलाई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या- 79 /2021/986(1)/24-1-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 91 /2021/1109/24-1-21-54 (बजट) /2021

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 05 अगस्त, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-926/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 28 जून, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 5400,00,00,000/- (रूपये पॉच हजार चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 2900,00,00,000/- (रूपये दो हजार नौ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 350,00,00,000/- (रूपये तीन सौ पचास करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अगस्त, 2021 के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि आहरित कर भुगतान हेतु केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों को प्रथमिकता प्रदान की जाय।

4- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 527 -दस-2021 2022, दिनांक 30 जुलाई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-91/2021/1109(1)/24-1-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-97/2021/1385/24-1-21-54 (बजट) /2021

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 07 सितम्बर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1204/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 21 अगस्त, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 5400,00,00,000/- (रूपये पॉच हजार चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 2550,00,00,000/- (रूपये दो हजार पॉच सौ पचास करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 350,00,00,000/- (रूपये तीन सौ पचास करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह सितम्बर, 2021 के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 951 (-दस-2021 2022, दिनांक 07 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या- 97 /2021/1385(1)/24-1-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-101/2021/1499/24-1-21-54 (बजट) /2021

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 01 अक्टूबर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1335/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 5400,00,00,000/- (रूपये पॉच हजार चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 2200,00,00,000/- (रूपये दो हजार दौ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 350,00,00,000/- (रूपये तीन सौ पचास करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अक्टूबर, 2021 के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-1330-दस-20212022, दिनांक 29 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-101/2021/1499(1)/24-1-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-112/2021/1540/24-1-21-54पी/02 टी0सी

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 13 अक्टूबर, 20

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख 1363/अधि0निदे0(वित्त)/एफ-2/विद्युत कर/345/भाग-2, दिनांक 22 सितम्बर, 2021 सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 प कारपोरेशन लि0 के लिए अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक-2801-बिजली- 05-संचरण वितरण- 800- अन्य व्यय-10-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर भुगतान की गयी धनराशि के विरूद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी में प्राविधानि धनराशि रूपयें 4750,00,00,000/- (रूपये चार हजार सात सौ पचास करोड़ मात्र) में से बच हो रही धनराशि रूपयें 2750,00,00,000/- (रूपये दो हजार सात सौ पचास करोड़ मात्र) लेखाशीर्षक संलग्नक बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेश लि0 को अनुदान सं0-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के लि स्वीकृत कर आहरित कर व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यप सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृति का आहरण माह अक्टूबर, 2021 में धनराशि रूप 750,00,00,000/- (रूपये सात सौ पचास करोड़ मात्र), नवम्बर, 2021 में धनराशि रूप 750,00,00,000/- (रूपये सात सौ पचास करोड़ मात्र), माह दिसम्बर, 2021 में धनरा रूपये 750,00,00,000/- (रूपये सात सौ पचास करोड़ मात्र), माह जनवरी, 2022 में धनरा रूपये 200,00,00,000/- (रूपये दो सौ करोड़ मात्र), माह फरवरी, 2022 में धनराशि रूप 200,00,00,000/- (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 202 में धनराशि रूपये 100,00,00,000/- (रूपये एक सौ करोड़ मात्र) किया जायेगा।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

3- उपरोक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि का आहरण निम्नलिखित शर्तों के अधी किया जायेगा:-

(1) उपरोक्त किश्तों का आहरण संबंधित माह की 10वीं तारीख़ के पूर्व नहीं किय जायेगा।

(2) जिस मद में धनराशि पुनर्विनियोग की गयी है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष व किसी प्रकार की धनराशि की माँग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है, उस मद की सम्पूर्ण धनराशि क नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।

(4) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धत हेतु किया जा रहा है। इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने औ उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पाव कारपोरेशन लि0 उत्तरदायी होंगे।

(6) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशक (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0का होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 वे कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं समयसमय पर निर्गत- दिशानिर्देशों का पूर्णतया अनुपालननिदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 सुनिश्चित किय जाएगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वार वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 1 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग/ समाज कल्याण विभाग को उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की अध्यता होगी।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में
किया जायेगा।

7- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ
पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या
के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800 - अन्य व्यय -04-उत्तर
पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-1554/दस-2021 20
दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-112/2021/1540(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ
2- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 1
4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृत

(सन्दर्भ-बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03-08-2022 16:28

अनुदान संख्या-9, ऊर्जा विभाग

वित्तीय वर्ष 2021-22 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक पूँजी	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (2±5)
1	2	3	4	5	6
2801 - बिजली -05- संचरण एवं वितरण -800- अन्य व्यय - 10- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरूद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी	475000.00	475000.00	275000.00	275000.00	20000.00
योग-	475000.00	475000.00	275000.00	275000.00	20000.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8±11)
7	8	9	10	11	12
"2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान -27 सब्सिडी"	540000.00	815000.00	275000.00	275000.00	815000.00
योग-	540000.00	815000.00	275000.00	275000.00	815000.00

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-
धनराशि समर्पित किये जाने के कारण

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-
वर्ष 2021-22 में आवंटित की गयी धनराशि समाप्त हो जाने के कारण

3- प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0- 88 /ई-10- 1554 /दस-2021 2022, दिनांक 13 अक्टूबर, 2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

हस्ताक्षर:-
नाम व पदनाम- (नीलरतन कुमार)
विशेष सचिव,
विभाग- वित्त विभाग।

हस्ताक्षर:-
नाम व पदनाम- (आनन्द कुमार त्रिपाठी)
प्रशासकीय विभाग-अनुसचिव, ऊर्जा विभाग।

संख्या:-990/24-1-2021-54 (बजट)/2021, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
5- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)।
9- गार्ड बुक।

हस्ताक्षर:-
नाम व पदनाम- (आनन्द कुमार त्रिपाठी)
प्रशासकीय विभाग- अनु सचिव, ऊर्जा विभाग।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-113 /2021/1648/24-1-21-54पी/02 टी0सी0

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 202

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में स्वीकृत व
गयी धनराशि को आहरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्य 1481/अधि0नि0(वित्त)/एफ-2/विद्युत कर/345/भाग-2, दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 के सन्दर्भ में मुझ यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अनुदा सं0-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पाव कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" में शासनादेश संख्या-112/2021/1540/24-1-21 54पी/02 टी0सी0, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से रूप 2750,00,00,000/- (रूपये दो हजार सात सौ पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गय थी। उक्त स्वीकृत धनराशि में से रूपये 750,00,00,000/- (रूपये सात सौ पचास करोड़ मात्र) क धनराशि का आहरण किया जा चुका है। अब अवशेष धनराशि रूपये 2000,00,00,000/- (रूपये द हजार करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2021 में धनराशि रूपये 1000,00,00,000/- (रूपये एक हजा करोड़ करोड़ मात्र) एवं माह नवम्बर, 2021 में धनराशि रूपये 1000,00,00,000/- (रूपये एक हजा करोड़ करोड़ मात्र) की किश्त के रूप में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदा करते है।

3- शासनादेश संख्या-112/2021/1540/2451-21-54पी/02टी0सी0-1 दिनांक 13 अक्टूबर 2021 द्वारा स्वीकृति की गयी धनराशि की शर्तें यथावत रहेगी।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग/ समन्वय विभाग को उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800 - अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 1708 /दस-2021 2022, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-113/2021/1648(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 11001।
4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-114/2021/1596/24-1-21-54 (बजट)/2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1419/अधि0नि0(वित्त)/निधि-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के लिए अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक-2801-बिजली- 05-संचरण एवं वितरण- 800- अन्य व्यय-05- उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग- 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्रविधानित धनराशि रूपये 6500,00,00,000/- (रूपये छः हजार पॉच सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 1500,00,00,000/- (रूपये एक हजार पॉच सौ करोड़ मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से (संलग्नक बी0एम0-9 के अनुसार) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अनुदान सं0-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग/ समाज कल्याण विभाग को उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800 - अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 1711 /दस-2021 2022, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-114/2021/1596(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 11001।
4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृत

(सन्दर्भ-बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

अनुदान संख्या-9, ऊर्जा विभाग

वित्तीय वर्ष 2021-22 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक पूँजी	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2801 - बिजली -05- संचरण एवं वितरण -800- अन्य व्यय - 05- उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग – 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	650000.00	150000.00	150000.00	150000.00	500000.00
योग-	650000.00	150000.00	150000.00	150000.00	500000.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8±11)
7	8	9	10	11	12
"2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान -27 सब्सिडी"	815000.00	965000.00	150000.00	150000.00	965000.00
योग-	815000.00	965000.00	150000.00	150000.00	965000.00

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-
धनराशि समर्पित किये जाने के कारण

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-
वर्ष 2021-22 में आवंटित की गयी धनराशि समाप्त हो जाने के कारण

3- प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0- 105 /ई-10- 1711 /दस-2021 2022, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

हस्ताक्षर:-
नाम व पदनाम- (नीलरतन कुमार)
विशेष सचिव,
विभाग- वित्त विभाग।

हस्ताक्षर:-
नाम व पदनाम- (आनन्द कुमार त्रिपाठी)
प्रशासकीय विभाग-अनुसचिव, ऊर्जा विभाग।

संख्या:-1592/24-1-2021-54 (बजट)/2021, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
5- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वितत (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)।
9- गार्ड बुक।

हस्ताक्षर:-
नाम व पदनाम- (आनन्द कुमार त्रिपाठी)
प्रशासकीय विभाग- अनु सचिव, ऊर्जा विभाग।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-115/2021/1670/24-1-21-54(बजट)/2021

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 03 नवम्बर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1516/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 23 अक्टूबर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 9650,00,00,000/- (रूपये नौ हजार छः सौ पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 1850,00,00,000/- (रूपये एक हजार आठ सौ पचास करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह नवम्बर, 2021 से माह मार्च, 2022 तक धनराशि रूपये 370,00,00,000/- (रूपये तीन सौ सत्तर करोड़ मात्र) की पॉच समान मासिक किश्तों में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-1886 -दस-2021 2022, दिनांक 02 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-115/2021/1670(1)/24-1-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-123/2021/1694/24-1-21-34 लोन/86

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 02, दिसम्बर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर वसूली के विरूद्ध समायोजन हेतु क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1531/अधि0नि0/निधि-।।/विद्युत कर/345/भाग-2, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरूद्ध समायोजन हेतु क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 4750,00,00,000/- (रूपये चार हजार सात सौ पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 2000,00,00,000/- (रूपये दो हजार करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 1050,00,00,000/- (रूपये एक हजार पचास करोड़ मात्र) श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृत करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण पुस्तक समायोजन के द्वारा किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा, तथा यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा संग्रहीत इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी का सत्यापित विवरण यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

6- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-10- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरूद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा तथा यह भुगतान पुस्तक समायोजन द्वारा प्राप्त लेखाशीर्षक "0043-विद्युत कर तथा शुल्क-101-विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर-01-विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर" के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-2142/दस-2021 2022, दिनांक 26 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-123/2021/1694(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-2

संख्या: 39/2021/1355164/12-2002/4/2021

लखनऊ: दिनांक: 07 जुलाई, 2021

कार्यालय-आदेश

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रू. 15,00,00.00 लाख की धनराशि सापेक्ष रू. 1,25,00.00 लाख (एक सौ पच्चीस करोड़ रूपए मात्र) की तृतीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि नियमानुसार एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण की जा सकेगी,

2. संगत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप धनराशि का सदुपयोग करते हुए, माहवार व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किया जाएगा,

3. कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा,

4. सुनिश्चित किया जाए कि प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं है। स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा,

5. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड ऑफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए,

6. धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, व्यय करने के पूर्व, यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाए,

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0 प0 विद्युत निगम को अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाली जायेगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में, वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या: 39/2021/ 1355164/12-2002/4/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ,
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अभि0/143/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2021-22/लखनऊ, दिनांक 22 जून, 2021 के संदर्भ में,
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या:24/2021/1355164/12-2-2021-बजट.3/2010

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 28 मई, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यन्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/13/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2021-22 दिनांक 12 अप्रैल, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 150000.00 लाख (रूपए पन्द्रह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष माह अप्रैल, 2021 एवं मई, 2021 हेतु धनराशि रू0 25000.00 लाख (रूपए दो सौ पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपये 25000.00 लाख की धनराशि का संगत शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप सदुपयोग करते हुए माहवार व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा एवं अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या:24/2021/1355164(1) /12-2-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या:43/2021/1355164/12-2002/4/2021
लखनऊ: दिनांक: 30 जुलाई, 2021

कार्यालय-आदेश

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रू. 15,00,00.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष रू. 1,25,00.00 लाख (एक सौ पच्चीस करोड़ रूपए मात्र) धनराशि की माह जुलाई, 2021 की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा,
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय संगत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा,
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदो पर किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा,
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करते हुए व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा तथा अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किया जाएगा,
6. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रखने का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष ''2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान-27-सब्सिडी'' के नामे डाली जायेगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में, वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या: 43/2021/1355164(1)/12-2002/4/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ,
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अभि0/210/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2021-22/लखनऊ, दिनांक 08 जुलाई, 2021 के संदर्भ में,
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-2

संख्या:69/2021/ 1355164/12-2002/4/2021

लखनऊ: दिनांक: 12 अक्टूबर, 2021

कार्यालय-आदेश

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रू. 15,00,00.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष तीन किश्तों के रूप में रू. 3,75,00,00,000/- (तीन अरब पचहत्तर करोड़ रूपये मात्र) धनराशि की माह अगस्त, 2021 से अक्टूबर, 2021 तक की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा,
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय संगत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा,
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदो पर किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा,
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय करते हुए व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा तथा अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किया जाएगा,
6. निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रखने का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाली जायेगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में, वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या:69/2021/ 1355164(1)12-2002/4/2021तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ,
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अभि0/470/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2021-22/लखनऊ, दिनांक 09 सितम्बर, 2021 के संदर्भ में,
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-2

संख्या:86/2021/ 1355164/12-2002/4/2021

लखनऊ: दिनांक: 16 नवम्बर, 2021

कार्यालय-आदेश

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रू. 15,00,00.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू. 6,25,00,00,000/- (छः अरब पच्चीस करोड रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा,
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय संगत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा,
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदो पर किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा,
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय करते हुए व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा तथा अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किया जाएगा,
6. निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रखने का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-102-खादयान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाली जायेगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में, वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(राधेश्याम)
उप सचिव।

संख्या:86/2021/ 1355164(1)12-2002/4/2021तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ,
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अभि0/924/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2021-22/लखनऊ, दिनांक 02 नवम्बर, 2021 के संदर्भ में,
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

Signature Not Verified
Page 1 of 1
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

संख्या-129 /2021/2009/24-1-21-54पी/02 टी0सी0-1

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 दिसम्बर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1699/अधि0निदे0(वित्त)/एफ-2/विद्युत कर/345/भाग-2, दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-09 के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के लेखाशीर्षक-2801-बिजली- 05-संचरण एवं वितरण- 800- अन्य व्यय-10-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरूद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 950,00,00,000/- (रूपये नौ सौ पचास करोड़ मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" में (संलग्नक प्रपत्र बी0एम0-9 के अनुसार) में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा:-

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

(1) जिस मद में धनराशि पुनर्विनियोग किये जा रहे है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत की गयी है उस मद में सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सद्पुयोग इस वित्तीय वर्ष में निदेशक (वित्त) द्वारा किया जायेगा।

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत की गयी है इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत की गयी है का सद्पुयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले ऑडिट आपत्ति निदेशक (वित्त) उत्तरदायी होगें।

(5) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह दिसम्बर, 2021 में धनराशि रूपये 600,00,00,000/- (रूपये छः सौ करोड़ मात्र) एवं माह जनवरी, 2022 में धनराशि रूपये 350,00,00,000/- (रूपये तीन सौ पचास करोड़ मात्र) के रूप में किया जायेगा।

(6) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग/ समाज कल्याण विभाग को उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

7- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800 - अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-3415/दस-2021 2022, दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-129/2021/2009(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 11001।
4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृत

(सन्दर्भ-बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

Signature Not Verified
SHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

अनुदान संख्या-9, ऊर्जा विभाग

वित्तीय वर्ष 2021-22 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक पूँजी	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2801 - बिजली -05- संचरण एवं वितरण -800- अन्य व्यय - 10- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरूद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी	200000.00	95000.00	95000.00	95000.00	105000.00
योग-	200000.00	95000.00	95000.00	95000.00	105000.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8±11)
7	8	9	10	11	12
"2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान -27 सब्सिडी"	965000.00	1060000.00	95000.00	95000.00	1060000.00
योग-	965000.00	1060000.00	95000.00	95000.00	1060000.00

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-
धनराशि समर्पित किये जाने के कारण

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-
वर्ष 2021-22 में आवंटित की गयी धनराशि समाप्त हो जाने के कारण

3- प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0- 202 /ई-10- 3412/एस-2021 2022, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

हस्ताक्षर:-
नाम व पदनाम- (आनन्द कुमार त्रिपाठी)
प्रशासकीय विभाग-अनुसचिव, ऊर्जा विभाग।

हस्ताक्षर:-
नाम व पदनाम- (नीलरतन कुमार)
विशेष सचिव,
विभाग- वित्त विभाग।

संख्या:- 1881 /24-1-2021-54 (बजट)/2021, दिनांक 27 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
5- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)।
9- गार्ड बुक।

हस्ताक्षर:-
नाम व पदनाम- (आनन्द कुमार त्रिपाठी)
प्रशासकीय विभाग- अनु सचिव, ऊर्जा विभाग।

Signature Not Verified
ISHWAR PAL
Meerut
03.06.2022 16:28